उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान

राज्य परियोजना कार्यालय,

18 पार्क रोड लखनऊ–226001 फैक्स:0522–2239940, दूरभाष सं0:0522–2239115

E-mail: rmsaup.mis@gmail.com, rmsaup.spo@gmail.com

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान,
18 पार्क रोड, लखनऊ।

सेवा में,

जिला परियोजना अधिकारी / जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक: आर0एम0एस0ए0 / यू–डायस–116–B / 1497-1760 / 2014–15 दिनांक 29 मई, 2014

विषय: शैक्षिक सत्र 2014–15 में यूनिफाईड डायस (यू–डायस) का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत है कि माध्यमिक विद्यालयों संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए वर्ष 2012–13 से यू डायस डाटा (U-DISE Data) का प्रयोग किया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में शुद्ध एवं समयबद्ध आधार पर यू0डायस डाटा तैयार किया जाना है।

(ख)– राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के पत्र संख्या: रा0प0नि0 / 659 / 2014–15 लखनऊ, दिनाक 23 मई, 2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने हेतु एक समय सारणी तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित की है तथा पृष्ठांकन आपको सम्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी, जिसके अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाना है।

(ग)– माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1–12 तक के सभी विद्यालयों का डाटा निर्धारित डाटा कैप्चर फार्मेट (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र) पर प्राप्त करके डाटा इन्ट्री, चेकिंग, संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण के पश्चात् जनपदीय यू डायस डाटा (U-DISE Data) को राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

Sh-A-Sinha (घ)– **वर्ष 2014–15 में शुद्ध एवं समयबद्ध आधार पर यू0डायस डाटा उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत् मुख्य कार्यवाही सुनिश्चित करें:–**

(1)– यू0डायस के पूर्ण आच्छादन के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों यथा राजकीय, अनुदानित, मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय बोर्ड व अन्य बोर्डो से सम्बद्ध, स्थानीय निकाय आदि विद्यालयों का विवरण जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर उपलब्ध हो। उल्लेखनीय है कि जनपद कार्यालय स्तर पर बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारण / परीक्षा आयोजन के आधार पर सभी राजकीय, अनुदानित, मान्यता प्राप्त विद्यालयो का विवरण, लेखाधिकारी कार्यालय में सभी राजकीय विद्यालयों एवं अनुदानित विद्यालयों के नाम व अन्य विवरण यथा अध्यापक पूर्व से ही उपलब्ध हैं, इसके अतिरिक्त आई0सी0एस0ई0, सी0बी0एस0ई0, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन आदि की वेबसाइट पर जनपदवार सम्बद्ध / संचालित विद्यालयों का विवरण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष के यू0डायस डाटा में भी उक्त विद्यालयों का विवरण उपलब्ध है। अतः जनपद में अवस्थित माध्यमिक विद्यालयो की जानकारी हेतु उपरोक्त उल्लिखित उपलब्ध स्त्रोतों का भी सुलभ सन्दर्भ (Cross Check) हेतु उपयोग किया जा सकता है।

A.D.D.(D)
30/5/2014

जिला विद्यालय निरीक्षक / जिला परियोजना अधिकारी का दायित्व होगा कि उक्त समस्त विद्यालयों की सूची निम्नवत् प्रारूप पर साफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी में तैयार करायेगें तथा संलग्न समयावधि में जिला परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान को उपलब्ध करायेगें।

1022
2/6/14

SATISH SANJAY

2.6.14

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	न्याय पंचायत का नाम/वार्ड का नाम	विकासखण्ड/जोन का नाम	विद्यालय प्रबन्धन श्रेणी: राजकीय/अनुदानित मान्यता प्राप्त	विद्यालय में शिक्षण					
					कक्षा 1 से 10	कक्षा 1 से 12	कक्षा 6 से 10	कक्षा 6 से 12	कक्षा 9 से 12	कक्षा 11–12

(2)– जनपद स्तर पर जिला परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान के कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा जिला परियोजना अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक एवं लेखाधिकारियों को यू0डायस डाटा, एजूकेशनल इन्डिकेटर्स, डाटा कैप्चर फार्मेट (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र) भरने एवं कंसिस्टेन्सी चेक पर कर्मचारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु पूर्व से ही तिथि निर्धारित कर ली जाए। उक्त प्रशिक्षण में सह जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद स्तर पर आई0सी0टी योजना देख रहे कार्यक्रम समन्वयक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आई0ई0डी0एस0एस0 योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी तथा व्यवसायिक शिक्षा योजना हेतु चयनित राजकीय माध्यामिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को भी उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।

(3)– उक्त कार्य महत्वपूर्ण है तथा यह दृष्टिगत रखा जाये कि डाटा कैप्चर फार्मेट (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र) जनपद के सभी राजकीय, अनुदानित, मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय बोर्ड से सम्बद्ध, स्थानीय निकाय, अन्य बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों को ससमय उपलब्ध करा दिया जाए तथा प्रपत्र प्राप्ति का विवरण निम्नवत् प्रपत्र पर जिला परियोजना कार्यालय स्तर पर रखा जाए:–

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	न्याय पंचायत का नाम/वार्ड का नाम	विकासखण्ड/जोन का नाम	विद्यालय का नाम	डाटा कैप्चर फार्मेटस (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों) प्राप्त करने का विवरण			
					प्राप्त करने वाले का नाम	प्राप्त करने वाले का पदनाम	डाटा कैप्चर फार्मेट (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र) प्राप्त करने की तिथि	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

(4)– यू0डायस में वर्णित सभी स्कूलों के भरे हुए डाटा कैप्चर फार्मेट (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र) प्राप्त करना अनिवार्य है। जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला परियोजना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह विकासखण्ड वार नोडल अधिकारी यथा प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय/प्रधानाचार्य अनुदानित माध्यमिक विद्यालय को नामित करें, जिसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह उक्त विकास खण्ड के समस्त माध्यमिक विद्यालयों द्वारा डाटा कैप्चर फार्मेटस (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों) के भरे जाने हेतु प्रभावी प्रशिक्षण करायें, ससमय उन्हे भरायें, विकासखण्ड स्तर पर यू0डायस डाटा में अशुद्धता/विसंगतियां डाटा से रिपोर्ट जनरेशन, डाटा चेकिंग, डाटा कंसिसटेंसी, डाटा इंडीकेटरों की गणना एवं डाटा कवरेज में अपूर्णता को चेक कराने एवं इसके सुधार कराकर/विसंगतियों को दूर कराकर शुद्ध डाटा जिला परियोजना कार्यालय में ससमय जमा करायें। उक्त हेतु यह भी आवश्यक होगा कि जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला परियोजना अधिकारी उनसे दैनिक रूप से डाटा कैप्चर फार्मेटस (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रो) भरे जाने की प्रगति आख्या फोन के माध्यम से प्राप्त करें।

(5)– उल्लेखनीय है कि राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में आई0सी0टी0 (ICT) योजनान्तर्गत जो विद्यालय आच्छादित हैं उनके नाम व उनमें दी गयी सुविधाएं, अध्यापक प्रशिक्षण, लाभार्थी आदि का विवरण पूर्ण सावधानी से डाटा कैप्चर फार्मेटस (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों) में भराया जाए तथा प्रत्येक स्तर से यथा: विद्यालय, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर में गहनता से जांच/चेक कराया जाए। आई0सी0टी0 योजना हेतु नामित जिला समन्वयक/नोडल अधिकारी स्वयं व्यक्तिगक्त रूप से डाटा कैप्चर फार्मेटस (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों) में योजना से सम्बन्धित बिन्दुओं को चेक कराने तथा सम्बन्धित विद्यालय स्तर से ही शुद्ध कराने के बाद जमा करायेगें।

(6)– इसी प्रकार राजकीय/अनुदानित विद्यालयों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों हेतु आई0ई0डी0एस0एस0 (IEDSS) योजना संचालित है। अतः उक्त सभी विद्यालयों में अध्ययनरत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हीकरण पूर्ण गम्भीरता के साथ किया जाए एवं उनका पूर्ण विवरण यथा लिंग, विकलांगता का प्रकार, श्रेणी एवं अन्य अपेक्षित

सूचनाओं को अति सावधानी से भरा जाए। यह दृष्टिगत रखा जाए कि चिन्हीकरण यू0डायस डाटा के आधार पर ही किया जाना है। ताकि योजना का पूर्ण लाभ दिया जा सके। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आई0ई0डी0एस0एस0 योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी स्वयं व्यक्तिगक्त रूप से डाटा कैप्चर फार्मेटस (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों) में योजना से सम्बन्धित बिन्दुओं को चेक कराने तथा सम्बन्धित विद्यालय स्तर से ही शुद्ध कराने के बाद जमा करायेगें।

(7)– यूनीफाईड डायस (यू–डायस 2014–15) के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के आच्छादन हेतु ई0एम0आई0एस0 इन्चार्ज/कम्प्यूटर आपरेटर (सर्व शिक्षा अभियान) से समन्वय स्थापित करते हुए माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों यथा कक्षा 1–12, कक्षा 6–12, कक्षा 9–12, कक्षा 1–10, कक्षा 6–10 एवं कक्षा 9–10 का डाटा कैप्चर फार्मेट (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र) विद्यालयों से प्राप्त कर जनपद के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय अथवा ब्लाक संसाधन केन्द्र जहां पर निश्चित् किया गया हो, वहां उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। डाटा को चेक करने के उपरान्त यह सुनिश्चित कर लें कि यदि गत वर्ष किसी विद्यालय को आवंटित यू0डायस कोड डुप्लीकेट या परिवर्तित हो रहा है, तो उसका औचित्यपूर्ण कारण दर्शायें। यू0डायस प्रपत्र को भरने के लिए जनपद स्तर से प्रचास–प्रसार करायें। डाटा कैप्चर फार्मेट (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र) विद्यालयों से प्राप्त होने के उपरान्त जनपद स्तर पर प्राप्त डाटा कैप्चर फार्मेटस (विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्रों) में अशुद्धता/विसंगतियां डाटा से रिपोर्ट जनरेशन, डाटा चेकिंग, डाटा कंसिसटेंसी, डाटा इंडीकेटरों की गणना एवं डाटा कवरेज में अपूर्णता को चेक कराने एवं विद्यालय स्तर से इसके सुधार कराकर/विसंगतियों को दूर कराकर शुद्ध डाटा ही जमा करें।

(8)– यू–डायस वर्ष 2014–15 का कार्य समयबद्ध आधार पर पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद के सर्व शिक्षा अभियान एवं उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान के मध्य लगातार समन्वय रखना अपेक्षित है। जनपद स्तर पर यू–डायस कार्य हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी नामित किये जाते हैं, एवं यू–डायस के अन्तर्गत समस्त कार्यों को सम्पादित कराते हुए संलग्न समय सारिणी के अनुसार राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान को जनपदीय संकलित यू डायस 2014–15 डाटा उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी दोनों नोडल अधिकारियों की होगी। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों के सबध में U-DISE के अन्तर्गत समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराना आपका उत्तरदायित्व है।

उक्त समय–सारिणी तथा निर्देश आपको इस आशय से प्रेषित हैं कि समय–सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करें, उपर्युक्त कार्य समयबद्ध है। अतः इसे वरीयता प्रदान करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान,
18 पार्क रोड, लखनऊ।

पृ0स0: आर0एम0एस0ए0/यू–डायस–116–B/1497-1760/2014–15 तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, निशातगंज, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
3. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक(बेसिक), निशातगंज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
6. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

श्रीमती (प्रभा त्रिपाठी) 29.5.14
अपर राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान,
18 पार्क रोड, लखनऊ।